Microprocessor controlled system for paper Industry

3666. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the paper industry has gone for the microprocessor controlled system to improve productivity; and

(b) if so, what are the details regarding improvement in productivity that has been achieved after the introduction of the system?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) A few paper mills are planning to procure and install microprocessor Control System for improving the quality of their products, effect saving in use of energy and improving productivity.

(b) Does not arise, at this stage.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में नए उद्योग

3667. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने की कौन-कौन सी योजनाएं हैं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन क्षेत्रों में उद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के 41 जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में स्वीकार किया गया है । इन जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी वर्गीकृत दरों पर केन्द्रीय निवेश राज सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं जिस का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:—

श्रेणी "क"	
1 बांदा	25% अधिकतम सीमा 25 लाख रु० (पर्वतीय जिलों में इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने के लिये 50 लाख रु०)
2 फतेहपुर	
3 हमीरपुर	
4 जालौन	
5 जौनपुर	
6 सुल्तानपुर	
7 कानपुर देहात	
8 चमौली	
9 पौड़ी गढ़वाल	
10 टेहरी गढ़वाल	
11 उत्तर काशी	
12 अल्मोड़ा	
13 पिथौरागढ़	
14 देहरादून	
15 नैनीताल	

श्रेणी "ख"

1. बलिया	15% (अधिकतम सीमा 15 लाख रु०)
2. बस्ती	
3. फैजाबाद	
4. झांसी	
5. रायबरेली	

श्रेणी "ग"

1. आजमगढ़	10% (अधिकतम सीमा 10 लाख रु०) एम०आर०टी०पी०/फेरा कम्पनियां पात्र नहीं हैं।
2. बदायूं	
3. बहराइच	
4. बाराबंकी	
5. बुलन्दशहर	
6. देवरिया	
7. एटा	
8. इटावा	
9. फरूखाबाद	
10. गाजीपुर	
11. गोंडा	
12. हरदोई	
13. मैनपुरी	
14. मथुरा	
15. मुरादाबाद	
16. पीलीभीत	
17. प्रतापगढ़	
18. रामपुर	
19. शाहजहांपुर	
20. सीतापुर	
21. उन्नाव	

उपर्युक्त के अलावा वे रियायती दरों पर ऋण पाने, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत रियायत पाने, औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी देने में प्राथमिकता पाने इत्यादि के भी पात्र हैं।